न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– टी0ए0 96 सन् 2016
पंजीयन दिनांक :– 28.11.2016

गोपाल पिता लेहरू जाति भाम्बी निवासी कुन्डिया तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द हाल चेनिया खेडी तहसील व जिला प्रतापगढ़

–अपीलांट/वादी

विरुद्ध

1. नानूराम पिता चतरभुज जाति जाट निवासी डिण्डोली तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ
2. पृथ्वीराज पिता चतरभुज जाति जाट निवासी डिण्डोली तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ

------फौत

3. शंकर पिता चतरभुज जाति जाट निवासी डिण्डोली तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ
4. बालू पिता चतरभुज जाति जाट निवासी डिण्डोली तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ
5. रामेश्वर पिता चतरभुज जाति जाट निवासी डिण्डोली तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ
6. सुशीला पिता चतरभुज जाति जाट निवासी डिण्डोली तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ
7. किशना पिता देव जी जाति जाट निवासी डिण्डोली तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ

------फौत

8. अर्जुन पिता देव जी जाति जाट निवासी डिण्डोली तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ
9. सरकार जरिये तहसीलदार, राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ

–रेस्पोडेन्टगण/प्रतिवादीगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरुद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राशमी
प्रकरण संख्या 80/2015 वाद निर्णय एवं आदेश दिनांक 03.06.2016

उपस्थित :– 1. छोगालाल जाट – अधिवक्ता अपीलान्ट
2. भगवत सिंह गिलुण्डिया – रेस्पोडेन्ट सं. 1,3,5 व 8
3. रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 7 फौत
4. रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित
5. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 9

निर्णय **दिनांक :–17.01.2023**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट वादी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 9 प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसकी पैतृक कृषि आराजीयात मोजा नवलपुरा तहसील राशमी मे अवस्थित होकर साबिक आ0न0 50 मीन रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा भग्गा जेता पिता परसा भाम्बी निवासी

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ (राज.)

कुण्डिया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में दर्ज रेकार्ड चली आ रही थी। जो नवीन सेट्लमेंट में नवीन आ0न0 72,73,74 दर्ज की जाकर रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 8 व अपीलान्ट वादी के पड़दादा स्वर्गीय भग्गा, जेता पिता परसा साकिन कुण्डिया के नाम दर्ज चली आ रही है। अपीलान्ट वादी के पड़दादा स्वर्गीय भग्गा, जेता पिता परसा भाम्बी ने उक्त कृषि आराजीयात को रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण के पूर्वज देवजी पिता नोला जाट निवासी डिण्डोली को रहन बिल कब्ज की थी, उसके पश्चात उक्त कृषि आराजीयात को भग्गा, जेता पिता परसा ने अपने जीवन काल में ही रहन मुक्त करवा ली, परन्तु रहन का दाखिला बदस्तुर चला आने से उक्त कृषि आराजीयात देव जी के बजाय उसके वारिसान रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादी सं0 1 से 8 के मुर्त बिल कब्ज के रूप में दर्ज कर दिया, जबकि उक्त कृषि आराजीयात अपीलान्ट वादी के पड्दादा जेता व उसके बड़े भाई भग्गा की खातेदारी थी व दोनो खातेदारान की मृत्यु हो चुकी है। भग्गा लाऔलाद फौत हुआ एवं जेता का पुत्र दयाराम था जिसकी भी मृत्यु हो चुकी है। दयाराम के पुत्र लेहरू की मुत्यु होकर अपीलान्ट वादी लेहरू का इकलौता पुत्र है जिससे अपीलान्ट वादी खातेदार स्वर्गीय भग्गा, जेता पिता परसा भाम्बी का एकमात्र उत्तराधिकारी होकर उक्त कृषि आराजीयात में मृतक भग्गा, जेता का नाम विलोपित करवाते हुए रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण जो कि मुर्त बिल कब्ज के रूप में दर्ज रेकार्ड है का नाम हट्वा कर अपीलान्ट वादी उक्त कृषि आराजीयात की इन्द्राज दुरूस्ती एवं घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

उक्त आशय का वाद पत्र अपलीलान्ट वादी की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ दिनांक 16.11.2015 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया जिस पर रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादी संख्या 3 व 8 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट्गण प्रतिवादी संख्या 2 व 7 की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई, जिससे अपीलान्ट वादी ने रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 2 व 7 के नामकायमी हेतु अवसर चाहा। उक्त पत्रावली तामील, नामकायमी एवं जवाबदावे हेतु नियत थी। उक्त पत्रावली को राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट हरनाथपुरा में नियत किया जाकर अपीलान्ट वादी की अनुपस्थिति में मृतक के विरूद्ध वादपत्र प्रस्तुत करना मानते हुए अपीलान्ट वादी का वाद पत्र निरस्त किए जाने का निर्णय/आदेश पारित किया।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट वादी ने इस न्यायालय में म्याद बाहर प्रथम अपील प्रस्तुत की तथा म्याद को क्षम्य किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किये गये।

अपीलान्ट वादी की ओर से इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्गण जरिये सम्मन नोटिस तलब किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1,3,5,8 जरिये अधिवक्ता उपस्थित । रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित । रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 7 फौत हो चुके है। रेस्पोडेन्ट संख्या 9 जरिये राजकीय

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधिवक्ता उपस्थित। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वास्ते बहस अन्तिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट प्रार्थी ने इस न्यायालय में अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य विश्वसनीय व न्यायोचित होने से अपीलान्ट प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद ली जाती है।

अधिवक्ता अपीलान्ट वादी ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में अपीलान्ट वादी की ओर से घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती का वादपत्र प्रस्तुत किया गया । उक्त वाद पत्र में तारीख पेशी दिनांक 16.12.2015 नीयत की गई, उक्त दिनांक को रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 3 व 8 की ओर से अधिवक्ता का अधिकार पत्र प्रस्तुत हुआ व रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 4,5,6 के सम्मन अदम तामील प्राप्त हुए। रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 2 व 7 फौत होने की सूचना प्राप्त हुई जिससे पत्रावली कायम मुकाम हेतु नियत की गई। जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.03.2016 नियत की गई व दिनांक 16.03.2016 को न्यायिक कार्य स्थगित होने से पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 21.07.2016 नियत की गई। उससे पूर्व उक्त पत्रावली दिनांक 03.06.2016 को राजस्व लोक अदालत में नियत की गई। जिसके सम्मन नोटिस जारी किए गए। तामील कुनिन्दा द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि अपीलान्ट वादी कुण्डिया तहसील रेलमगरा में निवास करता है फिर भी बिना तामील किए उक्त पत्रावली को राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट हरनाथपुरा में नियत कर कायम मुकाम में विचाराधीन पत्रावली को बिना किसी लिखित राजीनामें के अपीलान्ट वादी का वाद पत्र निरस्त किए जाने के निर्णय व आदेश पारित किये है। जिससे अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1,3,5 व 8 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलान्ट वादी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 2 व 7 जिनका स्वर्गवास हो जाने के बाद मृतक के विरुद्ध वादपत्र प्रस्तुत किया है। दिनांक 16.12.2015 को अपीलान्ट वादी की जानकारी में आ गया। 60 दिवस की अवधि में व्यवहार प्रकिया के प्रावधान अनुसार नाम कायमी करवानी थी, किन्तु तारीख पेशी दिनांक 03.06.2016 को भी आवेदन नहीं किया। 6 माह तक नाम कायमी की कार्यवाही नहीं करवाई। लोक अदालत में वादी के अधिवक्ता उपस्थित रहे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने मृतक व्यक्तियों के विरुद्ध वादपत्र प्रस्तुत होना मानते हुए अपीलान्ट वादी का वादपत्र निरस्त किये जाने के निर्णय व आदेश पारित किये है। अन्त में अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट/ प्रतिवादी संख्या 9 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश को विधिसम्मत होना बताते हुए अपीलान्ट वादी की ओर प्रस्तुत अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट वादी

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में मौजा नवलपुरा तहसील राशमी के साबिक आ0न0 50 मीन रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा जिसके नवीन आ0न0 72,73,74 की खातेदारी घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती का वादपत्र रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया । दिनांक 16.12.2015 को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 3 व 8 जरियें अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1,4,5,6 के सम्मन अदम तामील प्राप्त हुए। रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 2 व 7 के फौत होने की सूचना प्राप्त हुई। जिस पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने पत्रावली वास्ते कायम मुकाम रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 2 व 7 के लिये नीयत की गई व आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.03.2016 नीयत की गई। उक्त दिनांक को न्यायिक कार्य स्थगित हो जाने से आगामी तारीख पेशी 21.07.2016 नीयत की । उससे पूर्व ही दिनांक 03.06.2016 को पत्रावली बिना सूचना पत्र तामिल कराये राजस्व लोक अदालत में नीयत की जाकर अपीलान्ट वादी को कायम मुकाम की कार्यवाही हेतु समुचित अवसर प्रदान किये बगैर अपीलान्ट वादी का वादपत्र निरस्त किये जाने का निर्णय एवं आदेश पारित किया है जो न्यायोचित नही होने से अपीलान्ट वादी की ओर प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट वादी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राशमी के प्रकरण संख्या 80/2015 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 03.06.2016 निरस्त किया जाकर पत्रावली अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलान्ट वादी को कायम मुकाम की कार्यवाही का समुचित अवसर प्रदान कर पत्रावली में रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण का जवाब दावा लिया जाकर उभयपक्षों के अभिवचनों के अनुसार तनकीयात कायम की जाकर आदेश 20 नियम 5 जाब्ता दिवानी के प्रावधानों की पालना करते हुए अजसरे नवनिर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 20.02.2023 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 17.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ